DSSSB TGT & PGT

Part-B

SCHOLAR BATCH

SST

PARLIAMENT

Part -2

LIVE 24-06-2024 04:00 PM

संघ (52 - 151)

अनुच्छेद 52 - राष्ट्रपति - राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है | राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है | यह राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख का पद ब्रिटेन से लिया गया है|

अनुच्छेद 53 - कार्यपालिका - कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है |

अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन - इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है|

अनुच्छेद 55 - कोटा - इसमें जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किन्तु कोटा से काम वोट पाने पर भी जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है |

अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल - राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है |

अनुच्छेद 57 - दुबारा निर्वाचन - एक व्यक्ति दुबारा राष्ट्रपति के लिय निर्वाचित हो सकता है |

अनुच्छेद 58 - योग्यता - 1. भारत का नागरिक होना चाहिए , 2. 35 वर्ष आयु होनी चाहिए , 3. लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए , 4. 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुंडक होनी चाहिए

अनुच्छेद 59 - दशाएं / शर्तें - 1. पागल या दिवालिया न हो , 2. लाभ के पद पर न हो , 3. संसद या विधानमंडल में सदस्य न हो

अनुच्छेद 60 - शपथ - राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायलय के मुख्या नयायधीश दिलाते हैं|

अनुच्छेद 61 - महाभियोग - यह U S A के संविधान से लिया गया है | राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों यानि उच्च सदन या निम्न सदन कोई भी शुरू कर सकता है जिस सदन से महाभियोग शुरू होगा उस सदन का 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे | उसके बाद वह सदन 2 / 3 बहुमत से महाभियोग पारित करेंगे | उसके बाद वह दूसरे सदन को भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सुचना दी जाएगी | उसके बाद दूसरे सदन में भी यदि 2 / 3 बहुमत से पारित हो जायेगा तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जायेगा |

अनुच्छेद 62 - राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पदवधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जायेगा |

अनुच्छेद 63 - उपराष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति से सम्बंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया है |

अनुच्छेद 64 - सभापति - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है |

अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति कार्यवाहक - राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य संभालती है | उस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का उपयोग करता है | इस राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा |

अनुच्छेद 66 - निर्वाचन - राष्ट्रपति का निर्वाचन संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है | राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते है |

अनुच्छेद 67 - कार्यकाल - उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तबा तक अपने पद पर रहेगा | जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता |

अनुच्छेद 68 - चुनाव का समय - उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की चर्चा अतः इसका कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है |

अनुच्छेद 69 - शपथ - उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है |

अनुच्छेद 70 - वैसा किसी आस्मिकताओं की स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है वैसी स्थिति में संसद को जो अच्छा लगे वो कर सकता है |

अनुच्छेद 71 - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा |

अनुच्छेद 72 - क्षमादान शक्तियां - राष्ट्रपति को विभिन्न मामलो क्षमा करने की शक्तियां और किसी मामले में दंडादेश को निलंबन करने की शक्तियां है |

अनुच्छेद 73 - संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए कानून राष्ट्रपति बनाएगा |

अनुच्छेद 74 - राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा |

अनुच्छेद 75 - मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है |

अनुच्छेद 76 - महान्यायवादी **(Attorny General)** - यह केंद्र सरकार का अधिकारी क़ानूनी सलाहकार होता है |

अनुच्छेद 77 - केंद्र सरकार के कार्य के संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकती है |

अनुच्छेद 78 - प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाए |

अनुच्छेद 79 - **संसद** - पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है जबकि संसद की जननी UK को कहा जाता है |
संसद के तीन अंग होते है 1 . लोकसभा , 2. राजयसभा , 3. राष्ट्रपति |

अनुच्छेद 80 - **राज्यसभा** - राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंध के अनुसार नमोनित 12 सदस्य | संघ और राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी | मंत्रीपरिषद राजयसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं |

अनुच्छेद 81 - **लोकसभा** - इसका कार्यकाल 5 वर्षो का होता है तथा 5 वर्ष से पहले भी निघटन हो सकता है । इसे निम्न सदन कहा जाता है । इसमें बहुत के आधार पर PM बनता है । भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है
।

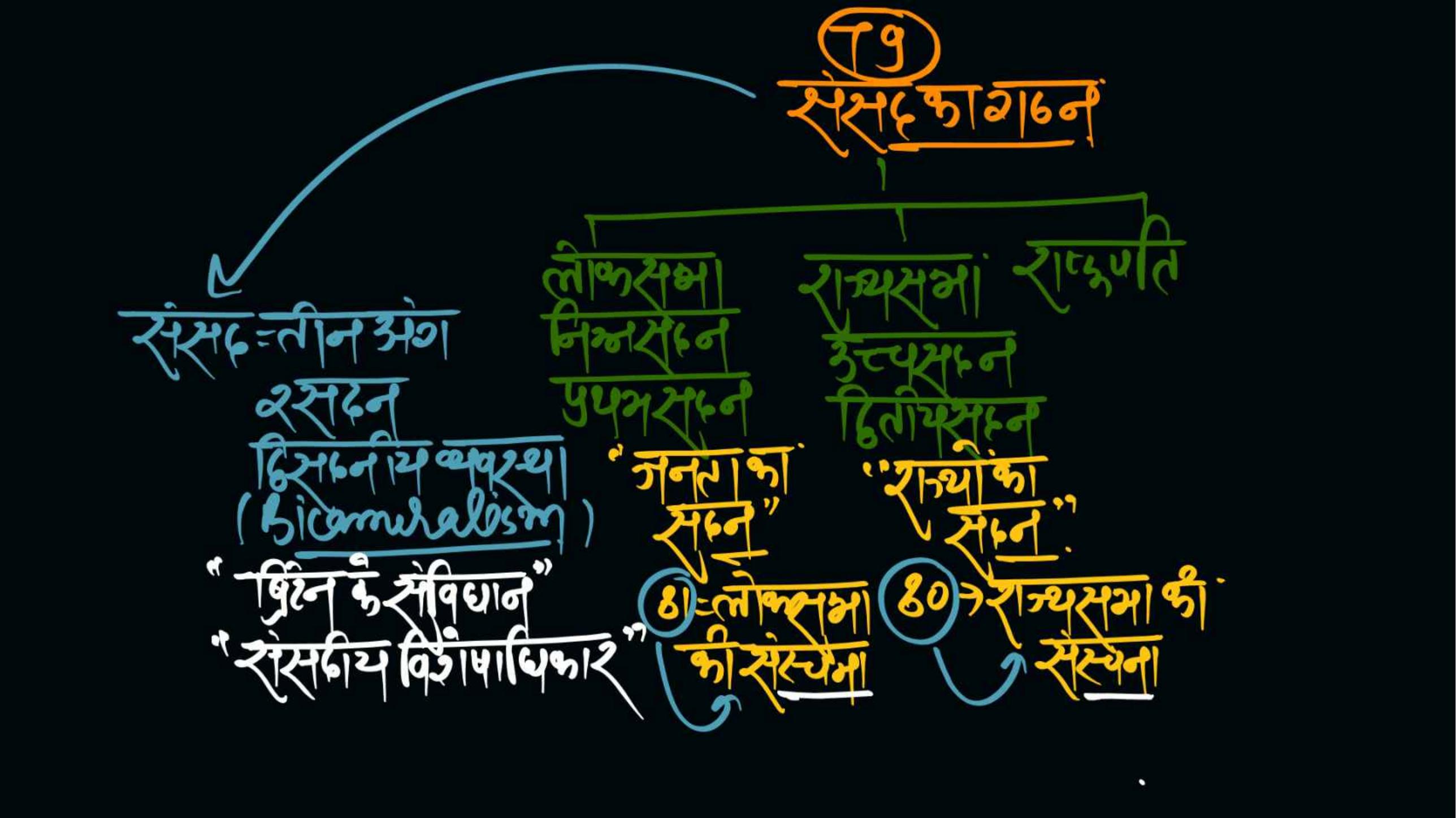

79

संसद का गठन

- लोकसभा
  - निम्नसदन
  - प्रथमसदन
  - "जनता का सदन"
  - 81 = लोकसभा की संरचना
- राज्यसभा
  - उच्चसदन
  - द्वितीयसदन
  - "राज्यों का सदन"
  - 80 → राज्यसभा की संरचना
- राष्ट्रपति

संसद = तीन अंग

2 सदन

द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameralism)

"ब्रिटेन के संविधान"

"संसदीय विशेषाधिकार"

(80) राज्यसभा की संरचना।

- **अधिकतम सदस्य संख्या।**
  - **250**
    - **238 निर्वाचन**
      - राज्यों की विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन
    - **12 मनोनीत**
      - साहित्य
      - कला
      - विज्ञान
      - समाजसेवा
- **वर्तमान सदस्य संख्या।**
  - **245**
    - **233 निर्वाचित**
    - **12 मनोनीत**
      - साहित्य
      - कला
      - विज्ञान
      - समाजसेवा

81

लोकसभा की संरचना

अधिकतम सदस्य संख्या

550

- 530 States
- 20 UT

वर्तमान सदस्य संख्या

543

- 524 States
- 19 UT

अनुच्छेद 82 - गणना के बाद पर सीटों की संख्या का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है । वर्तमान में सीटों की संस्था 1971 के जनगणना के आधार पर है ।

अनुच्छेद 83 - राज्य सभा स्थायी सदन है जब की लोक सभा की अवधि 5 वर्ष तक ही होता है ।

अनुच्छेद 84 - संसद की योग्यता -

1. भारत का नागरिक होना चाहिए ।
2. पागल न हो तथा किसी भी लाभ के पद पर न हो ।
3. लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए ।

अनुच्छेद 85 - इसमें सत्र आहुत तथा सत्रावसान की चर्चा की गई है ।

1. जब राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य को बुलाते है तो उसे सत्र का आहुत कहते हैं ।
2. जब दोनो सदन कानून बना लेते है तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस भेज देते है तो उसे सत्रावसान कहते हैं।

अनुच्छेद 86 - राष्ट्रपति का अभिभाषण - राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की फली बैठक में दोनो सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं ।

अनुच्छेद 87 - राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण - 5 वर्षो के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक रूप से संबोधित क्या जाता है ।

लोकसभा	राज्यसभा
अस्थायी सदन	स्थायी सदन
कार्यकाल 5 y	×
समय से पहले भी भंग	×
सदस्य = 5 y	6 years
	1/3 × 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं

85

सत्र = प्रथम बैठक ⟷ अंतिम बैठक

↓

घोषणा

↓

सत्र समाप्त होता है

↓

सत्रावसान

विघटन = लोकसभा

राष्ट्रपति

स्थगन = पीठासीन अधिकारी

अनुच्छेद 88 - मंत्री तथा महान्यायवादी - सदन में मंत्री तथा महान्यवादी विशेष प्रवधान के तहत सदन में बोल सकता है , लेकिन महान्यायवादी सदन में मतदान नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 89 - अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है ।

अनुच्छेद 90 - उपसभापति को पद से हटाना या उपसभापति के पद से अवकाश या त्यागपत्र -

1. यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वह पद खाली कर सकता है।
2. किसी भी समय सभा के अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है ।
3. सभा के सभी सदस्यों की सहमती से प्रस्ताव पारित करके उसे अपने पद से हटाया जा सकता है ।

नोट : खंड (3) तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक प्रस्ताव पारित करने के समय से 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो ।

अनुच्छेद 91 - सभापति के कर्तव्य का पालन या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी और व्यक्ति की शक्ति-

1. जब सभापति का पद रिक्त हो या ऐसी अवधि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तब उस समय उपसभापति या वो सभा का सदस्य जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो , जो उपसभापति के रूप में कार्य कर रहा हो , वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा ।
2. राज्यसभा की बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो तब वह व्यक्ति जो सभा का सदस्य हो और सभा के नियमो द्वारा अवधारित क्या जाए वह सभापति के रूप में कार्य करेगा ।